GOVT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCTION
E-II BRANCH, OLD SECRETARIAT
DELHI

No. F.2 (2)/Misc./E-II/2014/ 1119. Dated:11/09/2025

To

The Incharge(Computer Cell)
Directorate of Education,
Old Secretariat, Delhi.

Sub: Request to upload Recruitment Rules issued vide NCTD No.-279 dated 29/11/2024 published in Delhi Gazette (PGT: Home Science)

Sir/Madam,

With reference to subject cited above, please find enclosed herewith Delhi Gazette notification NCTD NO.-279 dated 29/11/2024.You are requested to upload the same on edudel website of Directorate of Education.

(Naveen Kumar)
S.O (E-II)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04122024-259152
SG-DL-E-04122024-259152

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 279
No. 313]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946	[N. C. T. D. No. 279

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

शुद्धि पत्र

दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

फा. सं. डीई.2(8)(74)/ई–II/2004/1369.—एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना .सं. फा. सं. डीई.2(8)(74)/ई–II/2004/1198 दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा अधिसूचित स्नातकोत्तर अध्यापक [गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस)] के पद हेतु भर्ती नियम में पृष्ठ संख्या 1 के प्रथम पाराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पढा जाये :–

फा. सं. डीई.2(8)(74)/ई–II/2004/1198.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 जून, 1973 की अधिसूचना संख्या फा0 2(41)/72–एस0 II द्वारा अधिसूचित स्नातकोत्तर अध्यापक [गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस)] के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व पराम"र्ा से, एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक [गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस)] के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

इसी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 3 के अनुसूची के क्रम संख्या 10 एवं 11 के स्थान पर निम्नलिखित पढा जाये :–

10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति प्रतिशत** 1. पदोन्नति 50 2. सीधी भर्ती 50

11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के प"चात् प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (रुपये 44900–142400/–) में घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक सांइस) अध्यापक। **टीप** : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शिंगारे रामचन्द्र महादेव, अपर निदेशक (शिक्षा)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30092024-257595
SG-DL-E-30092024-257595

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024//आश्विन 5, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 205
No. 244]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ ASVINA 5, 1946	[N. C. T. D. No. 205

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 27, सितम्बर 2024

फा. सं. डीई.2(8)(74)/ई–II/2004/1198.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम ;प्द्ध के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 जून, 1973 की अधिसूचना संख्या फा. 2(41)/72–एस. II द्वारा अधिसूचित स्नातकोत्तर अध्यापक ख्गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस), के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक ख्गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस), के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को स्नातकोत्तर अध्यापक गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस), भर्ती नियमावली 2024 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता आदि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	स्नातकोत्तर अध्यापक गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइस),
2.	**पदों की संख्या**	:	942 (2021) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित समूह–'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	8 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर–8 (रुपये 47600–151100/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।)

			टीप :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य योग्यता :–** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से गृह विज्ञान में कम से कम 50प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ग्रेड; अथवा खाद्य पोषण/अनुप्रयुक्त पोषण/आहार विज्ञान एवं खाद्य सेवा प्रबंधन/आहार विज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ्य; अथवा मानव विकास/बाल विकास/विशेष आवश्यकता वाले बच्चे; अथवा वस्त्र परिधान विज्ञान/वस्त्र एवं परिधान; अथवा संसाधन प्रबंधन/आन्तरिक डिजाइन; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संचार एवं विस्तार/ग्रामीण युवा कार्यक्रम/प्रगति योजना सांख्यिकी; (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) या बी0ए0, बी0एड0 या बी0एससी0, बी0एड0 या तीन वर्षीय एकीकृत बी0एड0–एम0एड0 शिक्षा में स्नातक। **टीप :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु – नहीं शैक्षिक योग्यता – हां
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष अभ्युक्ति : केवल सीधी भर्ती द्वारा
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / I eko:श द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति** **प्रतिशत** 1. पदोन्नति 50 2. सीधी भर्ती 50
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / I eko:श द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (रुपये 44900–142400/–) में घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस) अध्यापक।

			टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. अपर सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य 4. विशेष शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य **विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. अपर सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 4. विशेष शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शिंगारे रामचन्द्र महादेव, अपर निदेशक (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2024

F. NDE.2(8) (74)/E-II/2004/ 1198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.27/59-Him (I) dated 13th July, 1959 and in supersession of recruitment rules for the post of Post

Graduate Teacher (Home Science/Domestic Science) notified vide notification no. F.2 (41)/72-S. II dated the 28th June, 1973 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Post Graduate Teacher (Home Science/Domestic Science) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(i) These rules may be called Post Graduate Teacher (Home Science/Domestic Science) Recruitment Rules, 2024.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay/level of pay in the pay matrix.** - The number of the said post, their classification and scale of pay/level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications** - No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post.	:	PGT (Home Science/Domestic Science)
2. No of Posts.	:	942(2021) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification.	:	**General Central Service** Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B
4. Pay Level in the Pay Matrix.	:	8 Remark: Level 8 (Rs.47600-151100/-) in the pay matrix
5. Whether Selection post/ Non-Selection Post	:	Selection Post
6. Age Limits for Direct Recruits.	:	Not exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Govt.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB.

7. Educational and other Qualification required for direct recruits.	:	**Essential Qualification:** 1) Masters Degree with at least 50 percent marks or equivalent grade from a recognized University/Institute in Home Science; OR Food Nutrition/Applied Nutrition/Dietetics and Food service Management/Dietetics public Health; OR Human Development/Child Development/ Child with Special Needs; OR Fabric Apparel Science/Textiles and Clothing; OR Resource Management/Interior Design; OR Communication and Extension/Rural Youth Program/Progress Planning Statistics from a recognized University/Institute; (2) Bachelors in Education (B.Ed.) or B.A.B.Ed. or B.Sc.B.Ed. or three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from a recognized University/Institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
8. Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	:	Age - No Educational Qualification - Yes
9. Period of Probation, if any.	:	2 years Remark: For direct recruits only.
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		**Method** **Percentage** 1. Promotion 50 2. Direct Recruitment 50
11. In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made.	:	**Promotion:** Domestic Science Teacher in Level - 7 (Rs. 44900-142400/-) in the Pay Matrix with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Departmental Promotion Committee** 1. Principal Secretary/Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi -(Chairman) 2. Director of Education, Govt. of NCT of Delhi - (member) 3. Additional Secretary (Plg.), Govt. of NCT of Delhi -(member) 4. Spl. Director of Education/ Addl. DE (Admin), Govt. of NCT of Delhi -(member) **Departmental Confirmation Committee** 1. Principal Secretary/Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi -(Chairman) 2. Director of Education, Govt. of NCT of Delhi - (member) 3. Additional Secretary (Plg.), Govt. of NCT of Delhi -(member) 4. Spl. Director of Education/ Addl. DE (Admin), Govt. of NCT of Delhi -(member)
13. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	:	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in The Name of Lt. Governor

National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Addl. Director (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.